

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 6 (2) परीक्षा 'घ' /नर्स-2/24 दिनांक 19.05.2011 के द्वारा वर्ष 2010 में आयोजित नर्स श्रेणी द्वितीय की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची प्राप्त हुई।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10866/2010 में दिनांक 24/25.11.2010 को निम्न अंतरिम आदेश पारित किया था :-

"On 20.10.2010 the Nurse Grade-II Competitive Examination, 2010 (Examination Code No. 23) was conducted by the Rajasthan Public Service Commission in pursuant to a Notification dated 2.6.2010. As per the petitioners, the question paper of the examination concerned was disclosed by certain persons prior to 20.10.2010 and a criminal case in this regard was lodged. Certain arrest of accused- persons was also made on the same day, but despite discloser of question papers, the respondent Commission proceeded with the examination and on basis of such examination is now conducting counselling on 29.11.2010, for recommending the names of selected persons to undergo requisite training. Learned counsel for the petitioner submits that discloser of the question paper makes the entire competitive examination bed an as such, that is required to be cancelled.

Issue notice to show cause as to why this petition for writ be not admitted. Issue notice of stay application also.

In the meanwhile and until further orders, the respondents No. 1 and 2 are directed not to appoint any person as Nurse Gr. II on the basis of recommendations made by Rajasthan Public Service Commission as a consequent to Nurse Gr. II Competitive Examination, 2010 (Examination Code No. 23)"

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 17.5.2011 को एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10866/2010 एवं 791/2011 में निम्न आदेश पारित किया :-

"Having considered all the facts stated above, I am inclined to accept the application preferred under Section 226 (3) seeking vacation of the interim order by the Commission and to reject the stay application preferred by the petitioners. Accordingly, the ex-parte interim order dated 24.11.2010 is vacated. The stay applications preferred by the petitioners in both the petitions are dismissed. The respondents are at liberty to go ahead with the process of selection in pursuant to Nurse Gr. II Competitive Examination, 2010. However, the appointments made in pursuant thereto shall remain subject to final decision of these writ petitions."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2011 को पारित आदेश के मध्यनजर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त चयन सूची के अनुसार निम्नांकित 7 अभ्यर्थियों को नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर पे बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3200/- में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ 11 (7)/एफडी (रूल्स)/08 दिनांक 12.09.2008 के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रुपये 10000/- प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिविक्षा काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्थान पर किया जाता है। यह नियुक्ति आदेश रिट याचिका संख्या 10866/2010 एवं 791/2011 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं।

S. No.	CTG	DOB	DIST. NAME	NAME	FNAME	MERIT NO.	PLACE OF POSTING
1	GE	01.06.80	AJMER	SUMIT PAREEK	KULDEEP KUMAR PAREEK	57	CMHO, Ajmer
2	BC	17.08.86	BHILWARA	SHANTI LAL DHAKAR	MISHRI LAL DHAKAR	60	PMO, Beawar
3	BC	10.10.86	JAIPUR	RAMDEV SINGH FAGODIA	RAMESHWAR LAL FAGODIA	219	PMO, Banipark, Jaipur
4	BC	17.12.81	NAGOUR	ANWAR KHAN	DAUD KHAN	243-A	CMHO Nagaur
5	BC	10.06.87	BHARATPUR	BABALU	RAMCHARAN SAINI	315	PMO, Dholpur
6	ST	05.03.86	SIKAR	GOPI RAM MEENA	HAJARI LAL MEENA	526	CMHO, Nagaur
7	SC, WE, DV	01.07.82	JODHPUR	HANSA KHICHI	BABU LAL KHICHI	731	Govt. Hospt. Pawata, Jodhpur

परिवीक्षा काल में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही इस पद की नियमित वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ 13 (1)/एफडी (रूल्स)/03 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त नर्स श्रेणी द्वितीय पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात लागू होगी।

उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्डरी/हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का दस रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो, शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज, फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे, साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जा सकेगा, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे।

उक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इत्यादि) के अधीन कार्यग्रहण करना होगा।

उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

५  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/ 429  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 31/5/2011

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
13. निदेशक, (जन स्वास्थ्य / (परिवार कल्याण) / एड्स), मुख्यालय।
14. महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर।
15. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
16. श्री एस.एन. कुमावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर
17. श्री यशपाल खिलेरी, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
18. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करते वाले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनीकी जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से आपके स्वयं के स्तर पर परीक्षण किया जावेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रलेख जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। राज्य के बाहर नर्सिंग डिप्लोमा/ उपाधि के प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता के संबंध में भी संबंधित संस्था से सत्यापन करावे। अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावे, कोई प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात फर्जी, कूटरचित अथवा मिथ्या पाये जावे तो उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जावे, ताकि मामले में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों का पदस्थापन करते समय उनके अधीन रिक्त पदों में से जहां ज्यादा आवश्यकता हो वहां प्राथमिकता से पदस्थापन किया जावे। यदि पद रिक्त नहीं हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे एवं निदेशालय को संशोधित पदस्थापन आदेश जारी करने हेतु प्रकरण भेजा जावे।
19. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
20. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-
21. संबंधित पुलिस अधीक्षक।
22. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
23. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
24. संबंधित अभ्यर्थी।
25. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश की प्रति को विभागीय वेब साईट पर डाउनलोड करें।
26. आदेश / निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर